

कॉमन कॉज, एक पंजीकृत समाज

बनाम

भारत संघ

नवंबर 22, 2001

[एस. पी. भरुचा, सीजे। , सैयद शाह मोहम्मद कादरी, एन. संतोश हेगड़े, एस. एन. वरियावा और शिवराज वी. पाटिल, जे. जे.]

संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954: धारा 8 ए-की संवैधानिक वैधता।

संसद सदस्य-धारा 8 ए-में निहित प्रावधान के लिए पेंशन-विधायी क्षमता- अभिनिर्धारित इस तरह की क्षमता संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 97 के अनुसार प्रदान की जाती है- अनुच्छेद 106 या कहीं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संसद के सदस्यों के पेंशन के भुगतान पर रोक लगाता हो-भारत का संविधान, अनुच्छेद 106।

इन सभी याचिकाओं में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। उक्त धारा 1976 में संसद सदस्यों को उसमें बताई गई कुछ शर्तों को पूरा करने पर पेंशन देने के लिए शुरू की गई थी। यह तर्क दिया गया कि (i) जहां किसी संवैधानिक पदाधिकारी को पेंशन का भुगतान किया जाना है, संविधान में विशिष्ट प्रावधान है; (ii) संसद सदस्य पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 106 उन्हें वेतन और भत्तों के भुगतान का प्रावधान करता है और इसमें पेंशन के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। भारत संघ की ओर से यह तर्क दिया गया कि (i) धारा 8 ए संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टियों 73 और 97 में शामिल थी। (ii) अनुच्छेद-106 एक सक्षम प्रावधान है और संसद सदस्यों द्वारा पेंशन की प्राप्ति पर कोई रोक नहीं लगाता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने,

- अभिनिर्धारित: इस मामले में शामिल प्रकरण पूरी तरह से योग्यता का है, अर्थात् संसद संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8 ए को लागू करने संसद की क्षमता।

ऐसी क्षमता संसद को सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 द्वारा संसद को प्रदान की जाती है, और अनुच्छेद 106 में या अन्यथा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है-जो संसद सदस्यों के पेंशन के भुगतान के

सम्बन्ध में रोक लगाता हो। [326 – बी]

डी. एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ, [1983] 1 एस. सी. सी. 305 का समर्थन किया गया है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका(सी) संख्या 984/1991 की

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

साथ

:डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 246/1993।

सोली जे. सोराबजी, अटॉर्नी जेनरल।, डब्लू०पी० प्रशांत भूषण, संजीव कपूर, राम सरन शर्मा – व्यक्तिगत रूप से, मनीश सिंघवी, एस. एन. टेरडोल, पी. परमेश्वरन की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया था

भरुचा, सी. जे.। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954; को संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। इस प्रकार मूल अधिनियम का नाम बदलकर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम कर दिया गया और उसमें बताई गई कुछ शर्तों को पूरा करने पर संसद सदस्यों को पेंशन देने के लिए धारा 8 ए पेश की गई। उक्त धारा 8 ए को समय-समय पर संशोधित किया गया है और मूल रूप से इंगित पेंशन की दरों में वृद्धि की गई है।

इन सभी रिट याचिकाओं में उक्त धारा 8 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और उनकी सुनवाई संविधान पीठ द्वारा करने का निर्देश दिया गया है।

डब्ल्यू. पी. (सी०) सं. 984/1991 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने हमारा ध्यान संविधान के अनुच्छेद 106 और अनुच्छेद 195 के प्रावधानों की ओर आकर्षित है। जो इसके लिए विद्वान वकील हैं

" 106. सदस्यों के वेतन और भत्ते-संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय-समय पर संसद द्वारा, कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक उस सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसी दरों पर भत्ते दिये जायेंगे और ऐसी शर्तों पर जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों के मामले में लागू थी"

अनुच्छेद 195 राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों के संबंध में समान प्रावधान करता है। श्री प्रशांत भूषण ने बताया कि विधायक वेतन और भत्तों के हकदार हैं, लेकिन उनके पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता इन अनुच्छेदों के प्रावधानों की तुलना अनुच्छेद 125 और 221 के प्रावधानों से की गई है। अनुच्छेद 125 (2) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों और अनुपस्थिति की अवकाश के सम्बन्ध में ऐसी सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में एक समान प्रावधान है। हमारा ध्यान अनुच्छेद 148 की ओर भी आकर्षित किया गया जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पेंशन का संदर्भ देता है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जहां एक संवैधानिक पदाधिकारी को पेंशन का भुगतान किया जाना है, संविधान विशिष्ट प्रावधान करता है और इसलिए, अनुच्छेद 106 के तहत संसद सदस्यों के संबंध में ऐसे विशिष्ट प्रावधान नहीं करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान डी. एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ, [1983] 1 एस. सी. सी. 305 में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित कराया गया। जिसमें यह कहा गया है कि पेंशन एक शब्द है जो ऐसे किसी व्यक्ति को आवधिक धन भुगतान के लिए लागू किया जाता है जो निश्चित उम्र में सेवानिवृत्त होता है। जिसे विकलांगता की उम्र माना जाता है और सामान्यतः विशेष अवधि के लिए जारी रहता है। संसद सदस्यों के मामले में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि वे सेवानिवृत्त नहीं होते हैं और जब वे कार्य छोड़ते हैं तो हमेशा विकलांगता की उम्र के नहीं होते।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा डब्ल्यू. पी.(सी०) संख्या 246/1993 संदर्भित की गई। अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया और यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद सदस्यों को पेंशन देकर उनके पक्ष में भेदभाव किया गया था, जबकि इसके विपरीत न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के अधीन नहीं थे।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी ने हमारा ध्यान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 73 और 97 की ओर आकर्षित किया। प्रविष्टि 73 संसद को संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है। प्रविष्टि 97 संसद को सूची II या सूची III अर्थात् राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं किये गये किसी भी मामले के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार देती है। विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि धारा 8 ए में शामिल वेतन और भत्ते प्रविष्टि 73 में शामिल है और किसी भी परिस्थिति

में अवशिष्ट प्रविष्टि 97 सूची I में सम्मिलित कर दिये गये थे। अनुच्छेद 106 एक सक्षम प्रावधान है और इसे संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते पर रोक लगाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

हमारे समक्ष मुद्दा पूरी तरह से सक्षमता का है, अर्थात् उक्त धारा 8 ए को लागू करने के लिए संसद की क्षमता। हमें सूची I की प्रविष्टि 73 में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी क्षमता सूची I अवशिष्ट प्रविष्टि 97 द्वारा संसद को प्रदान की गई है और अनुच्छेद 106 या अन्यत्र ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सदस्यों के पेंशन के भुगतान पर रोक लगाता है।

इसलिए, हमारे विचार में, रिट याचिकाएं योग्यता से रहित हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

रिट याचिकाएँ खारिज